

IS15700:2018



सेवाोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बागपत वृत्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102

Email:-circlem@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्रांक 203

/पी0आर0ओ0-50ई/03

दिनांक- 07/2/2023

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में वांछित श्रेणी/ग्रुप में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से, ई-निविदा टू-बिड पद्धति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यों की मात्राएँ, बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी, जो घट या बढ़ सकती है। ई-प्रोक्वोरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाएँ निम्नानुसार खोली जाएगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु0 में)	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-6 में 66/112 प्रकार के 28 नग सेमीफिनिशड स्वयं वित्त पोषित भवनों का निर्माण कार्य।	231.20 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	4.63	09 माह	4500 + 18% जीएसटी	श्रेणी-1 ग्रुप-(i)	टू-बिड	नि0ख0 बागपत-1
2	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-6 में 95/162 प्रकार के 17 नग सेमीफिनिशड स्वयं वित्त पोषित भवनों का निर्माण कार्य।	199.17 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	4.00	09 माह	4500 + 18% जीएसटी	श्रेणी-1 ग्रुप-(i)	टू-बिड	नि0ख0 बागपत-2
3	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-6 में 36/75 प्रकार के 27 नग सेमीफिनिशड स्वयं वित्त पोषित भवनों का निर्माण कार्य।	131.52 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	2.64	09 माह	4500 + 18% जीएसटी	श्रेणी-1 ग्रुप-(i)	टू-बिड	नि0ख0 बागपत-3

नियम एवं शर्तें:-

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्नानुसार है), निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।	HDFC Bank, Vasundhra Branch, Ghaziabad	59140020212022	HDFC0000563
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।	HDFC Bank, Vasundhra Branch, Ghaziabad	59100020222023	HDFC0000563
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।	HDFC Bank, Vasundhra Branch, Ghaziabad	501000531132601	HDFC0000563

2. महत्वपूर्ण तिथियां:-

क्र०स०	विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा प्रकाशन तिथि	08.02.2023	-
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर०टी०जी०एस० करने की प्रारम्भ तिथि।	10.02.2023	अपराह्न 5:00 बजे से
3	धरोहर राशि की आर०टी०जी०एस० करने की अन्तिम तिथि	23.02.2023	अपराह्न 5:00 बजे तक
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	23.02.2023	अपराह्न 5:00 बजे तक
5	प्री-क्वालिफाईंग बिड खोले जाने की तिथि	24.02.2023	दोपहर 12:00 बजे
6	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	अलग से सूचित की जायेगी।	

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रू०-100/-का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रू०-1/- की रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सभी देयकों के आयकर, लेबर सेस व अन्य कर जो उ०प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी०एस०टी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, अलग से भुगतान किया जायेगा।
- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार,सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- समस्त कार्य, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ०प्र० जल निगम/विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
- कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.com एवं उ०प्र० इलैक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटों को देखते रहे, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- शासनादेश संख्या-622/231-12-2012-2/आडिट/08-टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मेन्स गारन्टी एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/ एन०एस०सी० जो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-01/02/03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 03 दिनों के अन्दर, न्यूनतम निविदादाता को खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफॉर्मेन्स गारन्टी कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापिस की जायेगी।
- कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्यदिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें।
- निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
- निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
- कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
- ई-टेंडरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्युमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, दरें कम (Below) मानी जायेगी।









22. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
23. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में, रेरा में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार फर्म पर पेनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
24. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, 07 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिनों के अन्दर ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
26. यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
27. भवनों की वारण्टी अवधि 5 वर्ष की होगी, जिसके लिए निविदादाता को 'भवन की वारण्टी हेतु शर्त' पर हस्ताक्षर करने होंगे एवं रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा।
28. ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
29. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे, जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।
 - अ. फर्म का पैन कार्ड।
 - ब. फर्म का परिषद श्रेणी में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 - स. फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 - द. फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 - य. वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र।
30. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 05 वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन कार्यों में से एक कार्य के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर, संलग्न करना अनिवार्य है।
 - अ. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
 - ब. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
 - स. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
31. शासनादेश सं0-1345/86-2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।
32. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्वयं स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
33. निर्माण के दौरान, जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
35. कार्यस्थल पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु शासन/एन.जी.टी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाएँ फर्म को अपने व्यय पर स्वयं करनी होंगी।

पृ0सं0 203

/उपरोक्तानुसार/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को अभियंत्रण अनुभाग, लखनऊ के पत्र सं0-2009/एम/सामान्य/बागपत दिनांक 21.07.2022 के क्रम में।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्वार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई-निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।

तददिनांक

अधीक्षण अभियन्ता

07/21/2023

अधीक्षण अभियन्ता